88/16 मूलाराम v/s जेठाराम वगैरा.

25.5.17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार 2017 मे अटल सेव केन्द्र ग्राम पंचायत कमठाई मे पेश हुई। मूलवाद मे प्रतिवादी/विप्रार्थी स.1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री अमराराम चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया है। शेष पक्षकारान बावजुद सुचना अनु.। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है,पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया,जिससे यह प्रतीत नही होता है कि प्रार्थी हस्तगत प्रकरण मे स्थगन आदेश जारी करवाने की हकदार है,और न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध है, जिससे साबित होता है,कि प्रार्थी विवादित भूमि मे स्थगन आदेश जारी करवाने का हकदार हो। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश मजमे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो।

25.5.17

सहायक कलेक्टर
SDC [illegible]